हिमाचल प्रदेश चौदहवीं विधान सभा

बारहवां सत्र

समाचार भाग-1

संख्या : 115

वीरवार, 27 अगस्त, 2026/05 भाद्रपद, 1948(शक्)

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख

11:00 बजे (पूर्वाह्न)

सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

1. **प्रश्नोत्तर:**

(1) **तारांकित प्रश्न :**

तारांकित प्रश्न संख्या: 4122 (स्थगित), 4502, 4503, 4504, 4506, 4508, 4510, 4511, 4514 व 4515 के उत्तरों पर माननीय सदस्यों द्वारा अनुपूरक प्रश्न पूछे गए तथा माननीय मुख्य मंत्री/उप मुख्य मंत्री/संबंधित मंत्रियों द्वारा उत्तर दिए गए।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Hon'ble Members, no disturbance in the Question Hour please."

तारांकित प्रश्न संख्या: 4509 के संदर्भ में **माननीय राजस्व मंत्री** ने कहा कि माननीय सदस्य ने वर्ष 2023 की आपदा के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी थी। जिसके सम्बन्ध में 1167 पेज का पूरा डाटा अपलोड कर दिया गया है। इतनी मेहनत करने के बावजूद भी माननीय सदस्य प्रश्न नहीं पूछ रहे हैं।

इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने **अध्यक्ष महोदय** से आग्रह किया कि जिन प्रश्नों के उत्तरों में बहुत ज्यादा पेपर्ज़ लगते हैं, भविष्य में इस तरह की कोई व्यवस्था की जाए कि जिस प्रश्न का उत्तर इतने पेजों से ज्यादा होगा उनका उत्तर माननीय सदस्य को ऑनलाइन भेज दिया जाएगा ताकि वे उसका उत्तर घर पर मोबाइल के माध्यम से भी पढ़ सकें।

Ruling by the Hon'ble Speaker

"This is a suggestion for the Vidhan Sabha Secretariat. We will look into this as well, but our duty is to ensure that whatever question is asked by any Hon'ble Member is presented in the Vidhan Sabha. We are doing our duty. In any case, if the Hon'ble Members who sought the information are not present here, that is up to them. However, the Government remains ready. I am happy to note that both the Department and the Government are prepared with all necessary information. Even if a Member does not ask supplementary questions after receiving this information, it will still be shared with the public at large through the Vidhan Sabha, as well as through the press and the media."

माननीय अध्यक्ष महोदय ने माननीय सदस्य श्री आशीष शर्मा द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या: 4514 पर बारम्बार अनुपूरक प्रश्न पूछने हेतु आग्रह करने पर इस प्रकार व्यवस्था दी: -

Ruling by the Hon'ble Speaker

"Since complete reply has come, there is no need of any supplementary. In any case, if the Hon'ble Member is not satisfied with the reply, he can resort to Rule-61."

तारांकित प्रश्न संख्या: 3659 (स्थगित) व तारांकित प्रश्न संख्या: 4500, 4507 के संदर्भ में दिए गए उत्तर पर संतोष व्यक्त करते हुए माननीय सदस्यों ने कोई अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4501, 4505, 4509, 4512 व 4513 पर माननीय सदस्य की अनुपस्थिति के कारण अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा गया।

तारांकित प्रश्न संख्या: 4516 से 4551 तक के उत्तर संबंधित मंत्रियों द्वारा दिए गए समझे गए।

(2) **अतारांकित प्रश्न :**

अतारांकित प्रश्न संख्या : 1668 (स्थगित) और अतारांकित प्रश्न संख्या : 1765 से 1786 तक के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

माननीय मुख्य मंत्री ने नेपाल में भारी बाढ़ की वजह से हुई त्रासदी में लोगों की आकस्मिक मृत्यु पर मान्य सदन में दिवंगत आत्माओं की शांति हेतु कुछ क्षण मौन रखने का आग्रह किया।

(दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए मान्य सदन में कुछ मिनट खड़े होकर मौन रखा गया।)

माननीय मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय मुख्य मंत्री ने रक्षा बन्धन के मौके पर दिनांक 28.08.2026 को पूरे प्रदेश में सरकारी कार्यालयों व स्कूलों में छुट्टी करने की घोषणा की।

माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय उप मुख्य मंत्री ने भी माननीय मुख्य मंत्री द्वारा रक्षा बन्धन के अवसर पर समस्त सरकारी कार्यालयों/स्कूलों में छुट्टी की घोषणा का स्वागत करते हुए स्वयं भी घोषणा की कि कल दिनांक 28.08.2026 को हिमाचल पथ परिवहन निगम की बसों में सभी महिलाओं को मुफ्त बस सेवा उपलब्ध करवाई जाएगी।

माननीय उप मुख्य मंत्री द्वारा वक्तव्य

माननीय उप मुख्य मंत्री ने हिमाचल प्रदेश टैक्सी यूनियन द्वारा प्रदेश भर में उनके वाहनों की आयु सीमा बढ़ाने व अन्य सम्बद्ध मुद्दों बारे की जा रही हड़ताल बारे विस्तृत वक्तव्य दिया। उन्होंने सदन को अवगत करवाया कि टैक्सी के रूप में चलने वाहनों की आयु सीमा 12 से 15 साल बढ़ाने का मामला केन्द्र सरकार से उठाया गया है जोकि उनके विचाराधीन है। केन्द्र सरकार के साथ इस मामले के जुड़े होने के कारण प्रदेश सरकार केन्द्र सरकार के फैसले का इंतजार कर रही है। हालांकि वे सदन के माध्यम से टैक्सी यूनियनों को यह आश्वासन देना चाहते हैं कि कोई भी पुलिस व परिवहन के अधिकारी तीन वर्षों तक इन वाहनों का आयु सीमा सम्बन्धी चालान नहीं करेंगे। दूसरा, ए0आई0टी0पी0 फीस को कम करने बारे भी मामला भारत सरकार के समक्ष उठाया गया है ताकि प्रदेश के टैक्सी ऑपरेटर्ज़ को उचित राहत मिल सके। तीसरा, Automated Testing Stations (ATS) के संबंध में भी राहत देने हेतु मामला केन्द्र सरकार से उठाया गया है।

इस पर **माननीय नेता प्रतिपक्ष** ने कहा कि टैक्सी ऑपरेटर्ज़ का यह मामला काफी समय से प्रदेश में चल रहा है। पिछले कल भी ये टैक्सी ऑपरेटर्ज भारी वर्षा में अपना विरोध जताते रहे। केन्द्र सरकार द्वारा जब टैक्सीज़ की आयु सीमा 15 साल कर दी गई थी तो प्रदेश सरकार ने अब तक यह आयु सीमा क्यों नहीं बढ़ाई। उसी समय प्रदेश सरकार को भी इनकी आयु सीमा 12 से 15 साल कर देनी चाहिए थी। प्रदेश सरकार द्वारा इस मसले में विलम्ब से निर्णय लेने की वजह से ही टैक्सी ऑप्रेटरों को परेशानी का सामना करना पड़ा और वे हड़ताल पर गए हैं।

माननीय उप मुख्य मंत्री ने कहा कि ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट (ए0आई0टी0पी0) यानी टैक्सी की आयु सीमा 12 से 15 साल तक बढ़ाने का मामला पूरे देश में उनकी सरकार द्वारा ही उठाया गया था। जो गाड़ियां प्रदेश की परिधि में चलती हैं, there can't be two set of rules in one state कि आप ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट वाली गाड़ियों को 15 साल चलने दें और जो स्टेट की गाड़ियां हैं, उनको आप 12 साल रखें। सरकार ने यह मसला केंद्र के साथ उठाया है और केंद्र इस पर विचार कर रहा है। जहां तक पोर्टल की बात है वह केन्द्र सरकार के ही अधीन आता है।

2. शून्यकाल:

माननीय सदस्य डॉ0 हंस राज ने अपने चुनाव क्षेत्र चुराह में 19 अगस्त, 2026 36 वर्षीय ढाबा चालक श्री नेगी राम की निर्मम हत्या का मामला उठाया। उन्होंने बताया कि इतने दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस कातिलों का कोई सुराग नहीं लगा पाई है। माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि मामले में संलिप्त समस्त कातिलों को पकड़ने बारे सरकार पुलिस विभाग को उचित निर्देश दे।

माननीय मुख्य मंत्री ने माननीय सदस्य को आश्वासन दिया कि प्रदेश सरकार द्वारा शीघ्रातिशीघ्र उचित कार्रवाई करने बारे डी0जी0पी0 महोदय को निर्देश दे दिए जाएंगे कि वे इस मामले की पूरी छानबीन करें।

3. कागज़ात सभा पटल पर:

(1) **श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू, मुख्य मन्त्री** ने निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखी।

(i) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के

अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश विद्युत संचार निगम लिमिटेड का 17वाँ वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2024-25 (विलम्ब के कारणों सहित); और

(ii) कम्पनी अधिनियम, 2013 के अनुच्छेद 395 तथा नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक (डीपीसी) अधिनियम, 1971 की धारा 19(ए) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड का वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2022-23 (विलम्ब के कारणों सहित)।

4. सदन की समितियों के प्रतिवेदन:

(1) **श्री अनिल शर्मा, सभापति, लोक लेखा समिति, (वर्ष 2026-27)** ने समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **173वां मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) पर बने समिति के **31वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (तेरहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है;

(2) समिति का **251वां मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) पर बने समिति के **343वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **उद्योग विभाग** से सम्बन्धित है;

(3) समिति का **74वां मूल प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) पर बने समिति के **337वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (अष्टम् विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है; और

(4) समिति का **102वां मूल प्रतिवेदन** (नवम् विधान सभा) पर बने समिति के **40वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (ग्यारहवीं विधान सभा) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के उत्तरों पर सरकार द्वारा कृत "**अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण**" पर आधारित तथा **लोक निर्माण विभाग** से सम्बन्धित है।

(2) **श्री किशोरी लाल, सभापति, लोक उपक्रम समिति, (वर्ष 2026-27) ने लोक उपक्रम** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **81वाँ मूल प्रतिवेदन** (बारहवीं विधान सभा) (वर्ष 2017-18) पर बने समिति के 46वें कार्रवाई प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) (वर्ष 2021-22) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश कृषि उद्योग निगम सीमित** से सम्बन्धित है; और

(2) समिति का **अष्टम् मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2023-24) पर बने समिति के **27वें कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2025-26) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित **"अग्रेत्तर कार्रवाई विवरण"** तथा **हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम सीमित** से सम्बन्धित है।

(3) श्री मोहन लाल ब्राक्टा, सभापति, कल्याण समिति, (वर्ष 2026-27) ने कल्याण समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **51वाँ प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **जनजातीय विकास विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का **52वाँ कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि हि0 प्र0 बाल अधिकार संरक्षण आयोग की संवीक्षा पर आधारित समिति के **28वें मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) (वर्ष 2024-25) में अन्तर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा कृत कार्रवाई पर आधारित तथा **महिला एवं बाल विकास विभाग** से सम्बन्धित है।

(4) श्री आशीष बुटेल, सभापति, जन प्रशासन समिति, (वर्ष 2026-27) ने **जन प्रशासन** समिति का **20वां मूल प्रतिवेदन** जोकि **पर्यावरण, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं जलवायु परिवर्तन विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित की प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी।

(5) श्री केवल सिंह पठानिया, सभापति, सामान्य विकास समिति, (वर्ष 2026-27) ने **सामान्य विकास** समिति के निम्न प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा में उपस्थापित की तथा सदन के पटल पर भी रखी:-

(1) समिति का **22वाँ मूल प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग** से सम्बन्धित आश्वासनों के कार्यान्वयन पर आधारित है; और

(2) समिति का **अग्रेत्तर कार्रवाई प्रतिवेदन** (चौदहवीं विधान सभा) जोकि **मांग संख्या: 26-पर्यटन और नागर विमानन विभाग** की वित्तीय वर्ष 2024-25 की अनुदान मांगों की संवीक्षा पर आधारित है।

5. नियम-62 के अन्तर्गत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव:

(1) माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा ने शिवालिक सॉलिड वेस्ट मैनेजमैंट प्लांट के संचालन और लीज अवधि के विस्तारीकरण से उत्पन्न स्थिति पर मान्य सदन का ध्यान आकर्षित किया।

(12.36 बजे अपराह्न श्री अनिल शर्मा, सभापति महोदय पदासीन हुए।)

(12.38 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय उद्योग मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री हरदीप सिंह बावा ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननननीय उद्योग मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य द्वारा उठाए गए विषय पर **अध्यक्ष महोदय** ने इस प्रकार व्यवस्था दी:-

"Hon'ble Member, let me tell you that this is a very important issue. I am stating this and bringing it on record. In any case, the issue raised now pertains to air, water, and soil pollution, and the people there are agitating. If the Pollution Control Board does not take action, I will take action against them straightaway. Furthermore, if the Environment Minister or the Industries Minister does not take action, I will visit the site myself and take the necessary action."

(2) माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती ने लोक निर्माण विभाग में विद्युत कार्यों के ठेके इलैक्ट्रिकल ठेकेदारों को न मिलने तथा इलैक्ट्रिकल विंग को सिविल विंग में समाहित करने से उत्पन्न स्थिति पर सदन का ध्यान आकर्षित किया।

(1.06 बजे अपराह्न माननीय सदन की बैठक दोपहर के भोजनावकाश के लिए 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित की गई।)

(भोजनावकाश के उपरांत 2.10 बजे अपराह्न मान्य सदन की बैठक माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में पुन: आरम्भ हुई।)

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री (मा0 लोक निर्माण मंत्री द्वारा प्राधिकृत) ने माननीय सदस्य द्वारा नियम-62 के अंतर्गत उठाए गए विषय का उत्तर दिया।

माननीय सदस्य श्री सतपाल सिंह सत्ती ने स्पष्टीकरण मांगा।

माननीय नगर एवं ग्राम योजना मंत्री ने स्पष्टीकरण का उत्तर दिया।

6. विधान सभा कार्य-सलाहकार समिति का प्रतिवेदन:

माननीय सदस्य श्री विनय कुमार ने **कार्य-सलाहकार समिति का 17वाँ प्रतिवेदन (चौदहवीं विधान सभा)** सभा में उपस्थापित किया तथा उसे अंगीकरण करने हेतु प्रस्ताव भी किया।

प्रस्ताव स्वीकार

7. गैर-सरकारी सदस्य कार्य:

"संकल्प"

<u>दिनांक 31 मार्च, 2026 को प्रस्तुत संकल्प पर आगे चर्चा जारी:</u>

माननीय सदस्य डॉ0 जनक राज द्वारा दिनांक 31 मार्च, 2026 को प्रस्तुत निम्नलिखित संकल्प पर आगे चर्चा हुई:-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रदेश में निर्माणाधीन तथा संचालित जल विद्युत परियोजनाओं के सामाजिक एवं पर्यावरण प्रभावों जैसी समस्याओं पर प्राथमिकता के आधार पर प्रभावी कदम उठाने पर विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. डॉ0 हंस राज, मा0 सदस्य

(2.36 बजे अपराह्न श्री संजय रत्न, माननीय सभापति पदासीन हुए।)

2. श्री राकेश जम्वाल, मा0 सदस्य
3. श्री सुरेन्द्र शौरी, मा0 सदस्य

4. श्री लोकेन्दर कुमार, मा0 सदस्य
5. श्री त्रिलोक जम्वाल, मा0 सदस्य

(3.44 बजे अपराह्न माननीय अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए।)

माननीय मुख्य मंत्री ने चर्चा के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए समस्त बिन्दुओं पर विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

मानननीय नेता प्रतिपक्ष श्री जय राम ठाकुर ने कहा कि माननीय मुख्य मंत्री इस प्रकार से चर्चा का उत्तर दे रहे हैं जैसे जनसभा में बोल रहे हैं और यह भी दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि 11 दिसम्बर, 2021 के बाद ही प्रदेश में समस्त कार्य हुए हैं तथा केन्द्र सरकार ने प्रदेश हित में कुछ नहीं किया है। जबकि वास्तविकता यह है कि केन्द्र सरकार के सहयोग से ही अधिकतर कार्य क्रियान्वित हो रहे हैं जिसके लिए इन्हें केन्द्र सरकार का धन्यवाद करना चाहिए। उन्होंने माननीय मुख्य मंत्री से माननीय सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए गए संकल्प के दायरे में रहकर ही सटीक उत्तर देने की अपेक्षा की।

इस पर **माननीय मुख्य मंत्री** ने कहा कि उन्होंने संकल्प के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा उठाए गए प्रासंगिक विषयों के बारे में ही उत्तर दिया है, इसमें कोई अतिश्योक्ति नहीं है। तत्पश्चात् उन्होंने स्वयं संकल्प को मान्य सदन से स्वीकार करने का अनुरोध किया।

(संकल्प संशोधित रूप में स्वीकार हुआ।)

(i) माननीय सदस्य श्री बिक्रम सिंह ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया तथा चर्चा की:-

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रदेश की भौगोलिक दृष्टि के मध्यनजर पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण हेतु अधिक लागत अनुरूप वित्तीय सहायता प्रदान करने की नीति बनाने पर विचार करे।"

निम्नलिखित ने चर्चा में भाग लिया:-

1. श्री विनोद कुमार, मा0 सदस्य

माननीय ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री ने माननीय सदस्यों द्वारा चर्चा के दौरान उठाए गए समस्त बिन्दुओं का विस्तारपूर्वक उत्तर दिया।

(संकल्प संशोधित रूप में स्वीकार हुआ।)

(ii) **माननीय सदस्य श्री कुलदीप सिंह राठौर ने चर्चा हेतु निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया:-**

"यह सदन सरकार से सिफारिश करता है कि बच्चों द्वारा सोशल मीडिया के उपयोग को नियंत्रित एवं सुरक्षित करने की नीति बनाने पर विचार करे।"

मान्य सदन की अनुमति से 4.47 बजे अपराह्न सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 31 अगस्त, 2026 के 2.00 बजे अपराह्न तक स्थगित हुई।

*****